न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं० : 157/2020

1. रोहताश कुमार पुत्र शेरसिंह जाति जाट निवासी जनाणा त० भादरा।

:– वादी

ब नाम

1. शेरसिंह पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी जनाणा त० भादरा।
2. संतलाल पुत्र शेरसिंह जाति जाट निवासी जनाणा त० भादरा।
3. कैलापति पुत्री शेरसिंह पत्नी रतनसिंह जाति जाट निवासी जनाणा त० भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री कृष्ण भारी एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सुरेन्द्र गढवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 1जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 50/42 के मु0 न0 30 के किला न0 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 23 कुल 3.1110है0 नहरी 3.0720है0, गै0 मु0 रास्ता 0.0390है0, मु0 न0 31 के किला न0 2 ता 9, 12 ता 18, 23 ता 25 कुल 3.6420है0, नहरी 3.5900है0, गै0 मु0 रास्ता 0.0520है0, मु0 न0 36 के किला न0 4, 5 कुल 0.5060है0, नहरी 0.4560है0, गै0 मु0 खाला 0.0500है0 कुल क्षेत्रफल 7.2590है0, नहरी 7.1180है0, गै0 मु0 रास्ता 0.0910है0, गै0 मु0 खाला 0.0500है0 नहरी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 शेरसिंह के नाम 1/4 हिस्सा व चक 3 एमआरएन के खाता सं0 95/94 के मु0 न0 17 के किला न0 1 ता 3, 8 ता 12, 19 ता 22 कुल 3.0360है0 नहरी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 शेरसिंह के नाम खातेदारी दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 शेरसिह का नाम कलमजन किया जाकर वाद भूमि में से वादी व प्रतिवादी सं0 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादी स0 3 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं 1 रोहताश कुमार व प्रतिवादी सं0 2 सन्तलाल को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/2/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:31:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 157/2020

1. रोहताश कुमार पुत्र शेरसिंह जाति जाट निवासी जनाणा त0 भादरा।

:- वादी

ब ना म

1. शेरसिंह पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी जनाणा त0 भादरा।
2. संतलाल पुत्र शेरसिंह जाति जाट निवासी जनाणा त0 भादरा।
3. कैलापति पुत्री शेरसिंह पत्नी रतनसिंह जाति जाट निवासी जनाणा त0 भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री कृष्ण भारी : वादी
वकील श्री सुरेन्द्र गढवाल : प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 17/2/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा 1जेजीडब्ल्यू के खाता सं0 50/42 के मु0 न0 30 के किला न0 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 23 कुल 3.1110है0, नहरी 3.0720है0, गै0 मु0 रास्ता 0.0390है0, मु0 न0 31 के किला न0 2 ता 9, 12 ता 18, 23 ता 25 कुल 3.6420है0, नहरी 3.5900है0, गै0 मु0 रास्ता 0.0520है0, मु0 न0 36 के किला न0 4, 5 कुल 0.5060है0, नहरी 0.4560है0, गै0 मु0 खाला 0.0500है0 कुल क्षैत्रफल 7.2590है0, नहरी 7.1180है0, गै0 मु0 रास्ता 0.0910है0, गै0 मु0 खाला 0.0500है0 नहरी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 शेरसिंह के नाम 1/4 हिस्सा व चक 3 एमआरएन के खाता सं0 95/94 के मु0 न0 17 के किला न0 1 ता 3, 8 ता 12, 19 ता 22 कुल 3.0360है0 नहरी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 शेरसिंह के नाम खातेदारी दर्ज है। जो पहले प्रतिवादी सं 1 के पिता बीरबल की खातेदारी हुआ करती थी। बीरबल के देहान्त होने पर उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 शेरसिंह ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारे की भूमि को [illegible] बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि [illegible] आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को [illegible] राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ [illegible] हो गये लिहाजा यही बनाए मुखासमत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:31:46 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 3 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। व प्रतिवादी सं 4 स्टेट की ओर से

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

Scanned with CamScanner

जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादीगण गण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु रोहताश कुमार पुत्र शेरसिंह जाति जाट निवासी जनाणा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम चक 1 जेजीडब्ल्यू व 3 एमआरएन प्रदर्श 1 ता 3 है। वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत जनाणा प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने चक 1 जेजीडब्ल्यू व 3 एमआरएन के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 4 में वारिसप्रमाण पत्र में शेरसिंह के दो पुत्र संतलाल, रोहताश कुमार व एक पुत्री कैलापति के अलावा अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। वाद भूमि रोही मौजा 3 एमआरएन के खाता सं0 96/95 के मु0 न0 18 किला न0 5, 6, 15, 16 कुल 1.0120है0 नहरी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 शेरसिंह के नाम यथावत रखते हुए रोही मौजा 1 जेजीडब्ल्यू के खाता सं0 50/42 के मु0 न0 30 के किला न0 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 23 कुल 3.1110है0 नहरी 3.0720है0, गै0 मु0 रास्ता 0.0390है0, मु0 न0 31 के किला न0 2 ता 9, 12 ता 18, 23 ता 25 कुल 3.6420है0, नहरी 3.5900है0, गै0 मु0 रास्ता 0.0520है0, मु0 न0 36 के किला न0 4, 5 कुल 0.5060है0, नहरी 0.4560है0, गै0 मु0 खाला 0.0500है0 कुल क्षैत्रफल 7.2590है0, नहरी 7.1180है0, गै0 मु0 रास्ता 0.0910है0, गै0 मु0 खाला 0.0500है0 नहरी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 शेरसिंह के नाम 1/4 हिस्सा व चक 3 एमआरएन के खाता सं0 95/94 के मु0 न0 17 के किला न0 1 ता 3, 8 ता 12, 19 ता 22 कुल 3.0360है0 नहरी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 शेरसिंह के नाम खातेदारी दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 शेरसिह का नाम कलमजन किया जाकर वाद भूमि में से वादी व प्रतिवादी सं0 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। चूकिं प्रतिवादी सं 3 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

क्रियात्मक आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:31:46 IST
Reason: SelfAttested

अत : वाद वादी साबित होने के [illegible] राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौ[illegible] जज[illegible]यू के खाता सं0 50/42 के मु0 न0 30 के किला न0 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 2[illegible] 3.1110है0 नहरी 3.0720है0, गै0 मु0 रास्ता 0.0390है0, मु0 न0 31 के किला न0 [illegible] 9, 12 ता 18, 23 ता 25 कुल 3.6420है0, नहरी 3.5900है0, गै0 मु0 रास्ता 0.0520है0, मु0 न0 36 के किला न0 4, 5 कुल 0.5060है0, नहरी 0.4560है0, गै0 मु0 खाला 0.0500है0 कुल क्षैत्रफल 7.2590है0, नहरी 7.1180है0, गै0 मु0 रास्ता 0.0910है0, गै0 मु0 खाला 0.0500है0 नहरी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 शेरसिंह के नाम 1/4 हिस्सा व चक 3 एमआरएन के खाता सं0 95/94 के मु0 न0 17 के किला न0 1 ता 3, 8 ता 12, 19 ता 22 कुल 3.0360है0

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा

Scanned with CamScanner

...री खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 शेरसिंह के नाम खातेदारी दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 शेरसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वाद भूमि में से वादी व प्रतिवादी सं0 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादी सं0 3 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं 1 रोहताश कुमार व प्रतिवादी सं0 2 सन्तलाल को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17/2/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
सहायक कलक्टर R.A.S.
सहायक कलेक्टर ([illegible])
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:31:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner